न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 66 / 2020

शुभम हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी लि0
शाखा कार्यालयः– 711 / 4. प्रथम तल, के0सी0 कॉम्पलक्स, दौलत बाग के सामने,
अजमेर (राज0) जरिये प्राधिकृत अधिकारी ....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1). श्री सत्तार मोहम्मद पुत्र श्री मुलतान मोहम्मद,
(अ) रूपाहेली बस स्टेण्ड के पास, रूपाहेली लेसवा, जिला अजमेर (राज0) 305201
(ब) वार्ड नं0 17, ग्राम–रूपाहेली, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर (राज0) 305201
(2). श्री चुनकी पत्नि श्री सत्तार मोहम्मद,
(अ) रूपाहेली बस स्टेण्ड के पास, रूपाहेली, लेसवा, जिला अजमेर (राज0) 305201
(ब) वार्ड न0 17, ग्राम–रूपाहेली, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर (राज0) 305201
......अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री संजय सिंह राजावत अभिभाषक प्राथी

आदेश दिनांक 19.03.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थी श्री सत्तार मोहम्मद पुत्र श्री मुलतान मोहम्मद, निवासी– रूपाहेली बस स्टेण्ड के पास रूपाहेली, लेसवा, जिला अजमेर (राज0) 305201 को दिनाक 29.11.2016 को रूपये 6,00,000/–(अक्षरे छः लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थी / ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर वार्ड नं0 17, ग्राम रूपाहेली, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर (राज0) में स्थित सम्पति, क्षैत्रफल 2500 वर्ग फीट जो श्रीमती चुनकी के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाऐं है:– पूर्व मे–आम रास्ता, पश्चिम मे:– पंचायत भूमि, उत्तर में:–पचायत भूमि, दक्षिण मे–पंचायत भूमि, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनाक 18.07.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण / ऋणी को दिनांक 28.07.2018 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 6,28,819/–(अक्षर छः लाख अठाईस हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नही किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 मे प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में वार्ड न0 17, ग्राम रूपाहेली, तहसील पीसागन, जिला अजमेर(राज0) स्थित बंधक सम्पति, क्षैत्रफल 2500 वर्ग फीट, जो श्रीमती चुनकी के नाम से है। जिसकी चतुर्थ सीमाएँ हैः– पूर्व मेंः–आम रास्ता, पश्चिम मेंः– पंचायत भूमि, उत्तर मेंः–पंचायत भूमि, दक्षिण में–पंचायत भूमि, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 19.03.2020 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर